<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

1. <u>अपील/डिक्री/टीए/7089/2006/भीलवाड़ा</u>

1- मु0 बाली बैवा गिरधारी जाति तेली निवासी आरजीया
तहसील जिला भीलवाड़ा

............अपीलार्थी

बनाम

1- रामसुख पुत्र हजारी फौत जरिये वारिसानः-
1/1- पप्पूलाल पुत्र रामसुख
1/2- मु0 सोनू पुत्री रामसुख
1/3- मु0 कंकु पुत्री रामसुख
2- माधु पुत्र हजारी
3- जानकीलाल पुत्र हजारी
समस्त जाति तेली निवासी आरजिया तह0 जिला भीलवाड़ा
4- राजस्थान सरकार
5- रामा पुत्र गिरधारी फौत जरिये वारिसानः-
5/1- मदन पुत्र रामा
5/2- राजू पुत्र रामा
5/3- शांति लाल पुत्र रामा
5/4- किशनलाल पुत्र रामा
6- पेमा पुत्री गिरधारी
7- प्यारा पुत्री गिरधारी
8- पोखर पुत्र गिरधारी
9- रामबक्ष पुत्र मांगीलाल
समस्त जाति तेली निवासी ग्राम आरजिया तहसील एवं
भीलवाडा।

............प्रत्यर्थीगण

2. <u>अपील/डिक्री/टीए/4898/2006/भीलवाडा</u>

1- रामा पुत्र गिरधारी फौत जरिये वारिसानः-
1/1- मदन पुत्र रामा
1/2- राजू पुत्र रामा
1/3- शांति लाल पुत्र रामा
1/4- किशनलाल पुत्र रामा
2- पेमा पुत्री गिरधारी
3- प्यारा पुत्री गिरधारी
4- पोखर पुत्र गिरधारी
5- रामबक्ष पुत्र मांगीलाल

समस्त जाति तेली निवासी ग्राम आरजिया तहसील एवं भीलवाडा।

............अपीलार्थी

बनाम

1- रामसुख पुत्र हजारी फौत जरिये वारिसानः-
1/1- पप्पूलाल पुत्र रामसुख
1/2- मु0 सोनू पुत्री रामसुख
1/3- मु0 कंकु पुत्री रामसुख
2- माधु पुत्र हजारी
3- जानकी लाल पुत्र हजारी

............प्रत्यर्थीगण

खण्ड-पीठ
डॉ0 शिव प्रसाद सिंह, सदस्य
कमला अलारिया, सदस्य

उपस्थित :
श्री मदनलाल गुर्जर, अभिभाषक अपीलार्थी बाली
श्री विरेन्द्र सिंह पंवार, अभिभाषक प्रत्यर्थीगण
रामसुख, माधु व जानकी लाल
पुत्रान हजारी
श्री शांति प्रकाश ओझा, अभिभाषक अपीलार्थीगण/प्रत्यर्थीगण
रामा, पेमा, प्यारा, पोखर पिसरान
गिरधारी व रामबक्ष पुत्र मांगीलाल

दिनांकः- 15-09-2025

निर्णय

1- यह हस्तगत् अपील याचिका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा-224 के अंतर्गत विद्वान भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20-07-2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2- हस्तगत् दोनों अपीलों में विवादित भूमि, विवाद का बिन्दु और पक्षकारान समान हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का निस्तारण अपने एक ही आदेश से किया है, अतः हमारे द्वारा भी इन दोनों अपील पत्रावलियों का निस्तारण एक ही

आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली में सुरक्षित रखी जावे।

3- दोनों अपीलों के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण गिरधारी पुत्र भैरू व रामबक्ष पुत्र मांगीलाल ने विरूद्ध प्रतिवादी हजारी पुत्र भैरू एक राजस्व वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 व 188 के तहत उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा के न्यायालय में विवादित आराजी साबिक नम्बर 1139 व 1151 कुल रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 1425, 1426, 1428 व 1427/1424 बाबत पेश कर जाहिर गया कि भूमि को गिरधारी, मांगीलाल व हजारी पुत्रान भैरू द्वारा पूर्व खातेदार रामसिंह से संयुक्त रूप से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 13-02-1954 को खरीद किया गया था तथा तब से तीनों बराबर हिस्से में भूमि पर काबिज काश्त होकर उपयोग कर रहे हैं। अतः वादीगण को भूमि में 2/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर इसी अनुसार भूमि का बंटवारा कराया जाकर प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रकरण में प्रतिवादी हजारी के वारिसान द्वारा दावा अस्वीकार कर अपने जवाब दावे में विवादित भूमि की खरीद अकेले हजारी द्वारा ही की जाना तथा उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में हजारी ही खातेदार दर्ज होकर वादीगण का भूमि में कोई हक अधिकार नहीं होना बताया गया। विचारण न्यायालय ने दोनों पक्षों की साक्ष्य ली जाकर अपने निर्णय डिक्री दिनांक 13-3-2006 के द्वारा वादीगण का वाद डिक्री कर दिया, जिसके विरूद्ध हजारी के वारिसान ने प्रथम अपील भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा न्यायालय में पेश की जो उन्होंने निर्णय व डिक्री दिनांक 20-07-2006 के द्वारा स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को अपास्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर रामबक्ष पुत्र मांगीलाल तथा गिरधारी के वारिसान द्वारा इस न्यायालय में दो हस्तगत अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।

4- उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

5- विद्वान अभिभाषक अपीलांट पक्ष ने अपील मीमों में उद्धरित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कहा कि राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा के यहां प्रत्यर्थीगण हजारी के वारिसान ने जो अपील पेश की उसमें अपीलांट वादी बाली बैवा गिरधारी को पक्षकार नहीं बनाया गया है जो कि उपखण्ड अधिकारी के निर्णय व डिक्री दिनांक 13-03-2006 में वादीया संख्या 1/5 के रूप में पक्षकार है। बाली को पक्षकार नहीं बनाये जाने से

प्रत्यर्थीगण की अपील डिफेक्टिव थी तथा ऐसी डिफेक्टिव अपील को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। बाली के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी का निर्णय व डिक्री आज भी स्टेण्ड करती है तथा अपीलीय न्यायालय ने डिफेक्टिव अपील को स्वीकार कर अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया है। वादी संख्या 1 गिरधारी व 2 के पिता मांगीलाल व प्रतिवादी हजारी ने विवादित आराजी को रामसिंह से दिनांक 13-02-1954 को पंजीकृत बयनामा से संयुक्त खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था तथा तब से ही वे तीनों काबिज काश्त चले आ रहे हैं। प्रदर्श-1 प्रदर्श-2 बयनामा का सही रूप से अवलोकन करने उपरान्त उपखण्ड अधिकारी ने दावा डिक्री किया था, लेकिन राजस्व अपील प्राधिकारी ने विक्रय पत्र में केवल एक जगह तीनों भाईयों का खरीद का अंकन लाईन बढ़ायी गयी प्रतीत होना मानते हुये इसे केवल हजारी के विक्रय पत्र के रूप में ही मान्यता दी है, जो गलत है। राजस्व अपील प्राधिकारी को विक्रय पत्र के बाबत इस तरह की फाइण्डिग देने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार उनके द्वारा तनकी संख्या 01 को केवल उपर अंकित करते हुये ही उपखण्ड अधिकारी के निर्णय व डिक्री को निरस्त करने में विधिक त्रुटि कारित की है। राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा ने तनकी संख्या 02 को निर्णीत ही नहीं किया। आलौच्य निर्णय आदेश 41 नियम 31 सीपीसी के उल्लंघन में पारित किया गया है जो कि निरस्तनीय है। अपीलीय न्यायालय ने पूर्व में मांगू व भूरा के विरूद्ध बेदखली का दावा हजारी द्वारा ही किया जाकर गिरधारी व मांगीलाल द्वारा इसमें पक्षकार न बनने से उनके विरूद्ध त्रुटिपूर्ण विनिश्चय लिया गया है, क्यों कि उक्त प्रकरण मिलीभगत से भी किया जाना हो सकता है तथा उसमें उन्हें पक्षकार न बनाने से उक्त प्रकरण के निर्णय का अपीलार्थीगण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं है। अपीलीय न्यायालय ने कब्जे बाबत भी त्रुटिपूर्ण व विधिविरूद्ध विनिश्चय लिया है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा का निर्णय व डिक्री दिनांक 20-07-2006 को निरस्त किया जाकर उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा का निर्णय व डिक्री दिनांक 13-03-2006 बहाल रखा जावे।

6- उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये प्रत्यर्थीगण हजारी के वारिसान के विद्वान अभिभाषक ने बहस में कहा कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20-07-2006 विधिसम्मत निर्णय है। उनका तर्क है अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने स्पष्ट व सारवान विवेचन करते हुये विक्रय पत्र

दिनांक 13-02-1954 के आधार पर रामसिंह से अकेले हजारी द्वारा ही प्रतिफल चुका कर भूमि खरीद करना स्पष्टतः साबित होना माना है, जो कि सही व पुष्ठ निर्णय है। विक्रय पत्र में बाद में मात्र एक ही जगह गिरधारी व जीतू का नाम लाईन को बढ़ाकर जोड़ा गया, जिससे उन्हें विधिवत कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। विक्रय पत्र अनुसार सही रूप से हजारी के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ था, जिसकी भी अपीलार्थीगण ने कोई चाराजोई नहीं की। भूमि हजारी व उसके वारिसान की विधिवत खरीदशुदा होकर उन्हीं का कब्जा काश्त है। हजारी की मृत्यु होने के पश्चात इस आराजीयात पर मांगू व भूरा ने जबरन कब्जा कर लिया था जिस पर हजारी के वारिसान ने ही कब्जा लेने के लिये दावा किया था और उन्हें कब्जा दिनांक 28-02-1983 को हकरसी में डिक्री की पालना में प्राप्त हुआ था। यदि अपीलार्थीगण का कब्जा होता तो ये भी उस दावे में पक्षकार बनते। दावे में इन्होंने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के लेखक को साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया है। स्वयं प्रतिवादी पक्ष के गवाह नन्दा ने भी प्रत्यर्थी पक्ष का ही कब्जा बताया है। जहां तक बाली बेवा गिरधारी को प्रथम अपील में पक्षकार न बनाने का प्रश्न है, अपील मीमों के उनवान में प्रत्यर्थी पक्ष में बाली का नाम लिखा जाकर काटा गया है लेकिन अपील विचाराधीन रहते प्रत्यर्थी पक्ष ने बाली का जीवित होना तथा उसे अपील में पक्षकार बनाने की आवश्यकता का तथ्य जाहिर नहीं किया गया, इसलिये द्वितीय अपील में अपीलार्थी पक्ष की आपत्ति चलने योग्य नहीं है। प्रथम अपील में बाली का नाम जानबूझ कर नहीं छोड़ा गया था बल्कि उन्हें गलत सूचना दी गई थी। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20-07-2006 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी पक्ष की अपील खारिज की जावे।

7- हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अपील मीमों तथा अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों तथा अभिलेख का गहनता से आद्योपांत अध्ययन किया।

8- प्रकरण का तथ्यों एवं साक्ष्यों के गुणावगुण पर विवेचन से पूर्व हम प्रथम अपील में बाली बेवा गिरधारी को पक्षकार न बनाने पर हस्तगत दोनों अपीलों में प्रस्तुत आपत्ति का विश्लेषण करना उचित मानते हैं। विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा के समक्ष वादीगण गिरधारी पुत्र भैरू तथा रामबक्ष पुत्र मांगीलाल द्वारा प्रतिवादी हजारी के विरूद्ध दावा प्रस्तुत किया गया था। दावा विचाराधीन रहते वादी संख्या 1 गिरधारी व प्रतिवादी हजारी की मृत्यु होने पर इन दोनों

पक्षकारों की वारिस कायम की गई, जिसके अनुसार गिरधारी के अन्य वारिसान के साथ बाली बेवा गिरधारी को वादी संख्या 1/5 स्थापित किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा दावा स्वीकार किया जाकर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13-03-2006 द्वारा वादी संख्या 1 व 2 तथा प्रतिवादी हजारी को पृथक-पृथक खसरा नम्बर व रकबे का खातेदार घोषित किया गया। निर्णय में दोनों फौत पक्षकारों के वारिसान को वाद शीर्षक में शामिल करते हुये आदेश किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय अनुसार बाली बेवा गिरधारी भी अन्य वादीगण के साथ डिक्रीधारक है। उक्त निर्णय के विरूद्ध हजारी के वारिसान रामसुख, माधु व जानकीलाल द्वारा दिनांक 03-04-2006 को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा में अपील प्रस्तुत की गई। अपील मीमों शीर्षक में गिरधारी के वारिसान में श्रीमति बाली बेवा गिरधारी को भी पहले प्रत्यर्थी पक्ष में लिखा जाकर पेश अपील में इस नाम को पेन से काट दिया गया है। शीर्षक से हटा दिये जाने से अपीलीय न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 20-7-2006 के शीर्षक में भी बाली शामिल नहीं है। हस्तगत दोनों अपीलों में एक अपील में स्वयं बाली अपीलार्थी है तथा दोनों ही अपीलों में उसे प्रथम अपील में पक्षकार नहीं बनाने की आपत्ति को मुख्य रूप से प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में यह स्पष्ट नहीं है कि बाली को प्रथम अपील में पक्षकार क्यों नहीं बनाया गया अथवा शीर्षक में नाम लिखकर क्यों काटा गया लेकिन हमारा सुविचारित मत है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय अनुसार बाली भी डिक्रीधारक है जिसे पक्षकार न बनाने से अपीलीय न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 20-07-2006 को बाली के विरूद्ध विधिवत रूप से प्रभावी होना नहीं माना जा सकता, अतैव हमारे मतानुसार मातहत अपीलीय न्यायालय में प्रस्तुत अपील मीमों व निर्णय दोनों ही त्रुटिग्रस्त होकर प्रकरण गुणावगुण पर विचारण किये बिना इसी विधिक आपत्ति पर अपीलीय न्यायालयों को प्रतिप्रेषण योग्य बनता है।

9- अतः विवेचन अनुसार निर्णय स्वरूप प्रस्तुत दोनों अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 20-07-2006 अपास्त किये जाकर प्रकरण उक्त अपीलीय न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उक्त अपील में अपीलांट पक्ष बाली बेवा गिरधारी को भी अपील पक्षकार संयोजित करे तथा अपीलीय न्यायालय बाली

को भी सुनवाई का अवसर देते हुये अपील में पुनः गुणावगुण पर विधिसम्म्त निर्णय पारित करे।

दोनों अपील पत्रावलियां फैसल शुमार रहे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ दोनों न्यायालयों की पत्रावलियां राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा न्यायालय को भेजी जावे। उभयपक्ष मातहत अपीलीय न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक ***16-10-2025*** को उपस्थित रहने बाबत् सूचित रहे।

निर्णय सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
सदस्य

(डॉ. शिव प्रसाद सिंह)
सदस्य